न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-4/2011

1- सिणगारी बेवा पोखरराम (फौत)
1/1- चांवली पुत्री पोखरराम जाति जाट
2- नत्थूराम उर्फ नाथूसिंह पुत्र पोखरराम

जाति जाट निवासी ग्राम ताजसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

-- बनाम--

1- सुनील चौधरी पुत्र नन्दकिशोर चौधरी जाति महाजन निवासी चतुर्भुज माता के मन्दिर के पास फतेहपुर रेखावाटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।
2- रामकुमार पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी माण्ड्रेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज0)
3- चन्द्राराम पुत्र डालूराम
4- हणमान पुत्र डालूराम
5- हरलाल पुत्र डालूराम
6- भंवरलाल पुत्र डालूराम
7- चुनाराम पुत्र खेमाराम
8- विजयपाल पुत्र जीताराम
9- महिपाल पुत्र जीताराम
10-सुभाष पुत्र जीताराम

जाति जाट निवासी ताजसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज0)

11-तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22-2-2011 द्वारा उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर ।

--0--

उपस्थिति-
1-श्री विधाधर सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री सोहनलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 14.3.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी धारा-151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-1 सुनीलकुमार चौधरी ने एक वाद पत्र मु0नं0 45/2005 उनवानी सुनीलकुमार बनाम रामकुमार आदि न्यायालय में पेश किया। जिसमें प्रार्थीगण प्रतिवादी सं0-2 व 3 के रूप में पक्षकार थे तथा शेष पक्षकार अप्रार्थीगण 2 से 11 प्रतिवादीगण थे। दिनांक 16-12-2005 को दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी के आदेश जारी कर आगामी पेशी दि0 23-12-2005 दी गई। उक्त दावे के सम्मन प्रार्थीगण के पास कभी भी नहीं गये तथा कोई भी तामिल कुनिन्दा प्रार्थीगण के पास नोटिस लेकर नहीं गया तथा न ही प्रार्थीगण ने नोटिस लेने से इन्कार किया न ही कोई नोटिस प्रार्थीगण के मकानों पर चस्पा किया गया। वादी सुनील ने फर्जी रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा से साज कर करवाई जाकर न्यायालय में पेश की गई। तामिल कुनिन्दा ने गलत रूप से हमारी इन्कारी तथा मकानों पर नोटिस चस्पांदगी की रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर हमारे खिलाफ दिनांक 23-12-2005 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये। इसके बाद वादी ने दिनांक 28-12-2005 को अपने गवाहों तथा अन्य दो गवाहें के बयान करवाकर दिनांक 6-1-2006 को दावा एक पक्षीय डिक्री कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों बाबत विभाजन का दावा मु0 नं0 9/2003 उनवानी सिणगारी बनाम चन्द्राराम न्यायालय मे कई दिनों से लम्बित रहा जो दिनांक 22-12-2008 को डिक्री हुआ। प्रार्थीगण अपना वाद सम्यक सतर्कता से लडते रहे जबकि वादी सुनीलकुमार ने तुरन्त फुरत में कार्यवाही करके गलत फर्जी रिपोर्ट तामीलें करवाकर न्यायालय को मुगालता देकर अपना वाद सं0-45/2005 एकतरफा डिक्री करवा लिया। यदि प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें के नोटिस अथवा सूचना मिलती तो हम इस दावे मे आवश्यक रूप से हाजिर होते हाजिर नहीं होने की लापरवाही कभी नहीं करते। दावा सं0-45/2005 में प्रार्थी -गण वर्णित आराजी के खातेदार काबिज खातेदार काश्तकार होने से उक्त मुकदमें में सारवान हित रखते हैं। इस कारण प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना

दिया जाना आवश्यक है । अत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सुनवाई का अवसर दिया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में दावा सं0- 45/2005 सुनील कुमार बनाम रामकुमार अन्तर्गत धारा-53 राज0 काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसमें अपीलान्टस् की तामिल विधिवत नहीं करवाई गई । अपीलान्ट की फर्जी तामिल साजशी की गई है । तामिल कुनिन्दा ने इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं की है कि अपीलान्ट के परिवार का अन्य सदस्य मौके पर मिला या नहीं है । अपीलान्ट की तामिल आदेश-5 नियम 17 व 19 के प्रावधान आज्ञापक है जिनके तहत तामिल करवानी चाहिये थी किन्तु इन आज्ञापक आदेशो की पालना न कर आदेश पारित किया है । विवादित आराजियों के बाबत उनवानी पोखर व अपीलान्ट बनाम चन्द्राराम आदि दावा सं0- 103/95 जिसके नये मु0नं0 9/2003 कायम किये गये । सन् 1995 से उक्त विवादित आराजी का दु पक्षकारो के मध्य विभाजन का दावा जैरकार चल रहा है । जिसमें अदालत मातहत ने रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश चल रहा था । जिसके विचाराधीन रहते विवादित आराजी के हिस्सा 1/5 के सहकाश्तकार ने रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30-12-2004 को बैचान किया जो कानूनन वर्जित है। इस प्रकार विक्रय धारा-52 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनन वर्जित है। इसमें क्रय कर्ता को दावे में पक्षकार भी नहीं बनाया गया । दावे में कोई तनकीयात भी नहीं बनाई तथा न ही तामिल कुनिन्दा की कोई सहादत ली है । बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपना आदेश पारित किया है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का बिना अवलोकन किये अपना निर्णय पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 22-2-2011 एवं आवेदन अन्तर्गत आदेश-9 नियम-13 जा0दी0 आवेदन सं0-14/2009 खारिज किया जाकर

दावा सं0-45/2005 निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 6-1-2006 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 23-1-2006 खारिज किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों मे दर्ज तथ्यों को यथ दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी के बाबत पक्षकारों के मध्य दावा पूर्व से ही अदालत मातहत में विचाराधीन रहा है जिसके मु0नं0 103/95 नये मु0 नम्बर 9/2003 कायम किये गये हैं । इस दावे के विचाराधीन रहते ही रेस्पोडेन्ट सं0-1/वादी ने अदालत मातहत एक दावा उनवानी सुनील बनाम रामकुमार मु0नं0 45/2005 विभाजन हेतु पेश किया । जिसकी अपीलान्ट की तामिल वादी तामिल कुनिन्दा से साज कर गलत रूप से चस्पांदगी से तामिल करवाई तथा अदालत मातहत ने न तो चस्पांदगी के आदेश किये प्रथम बार में ही अपीलान्ट के नोटिस चस्पांदगी से तामिल करवाये है जो आदेश-5 नियम-17 व 19 के अनुसार नहीं है इसके समर्थन में आरआरडी 1991 पेज-68, आरआरडी फरवरी 2008 पेज-83, आरआरडी 1991 पेज-155 पेश की । दावा के दौरान विवादित आराजी का सहकाश्तकार ने अपना 1/5 हिस्सा का बैयान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 2 को को दिनांक 30-12-2004 को किया गया । इस दौरान दावा सं0- 9/2003 में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी थी। इस प्रकार जेरकार दावा के दौरान आराजी का बैयान किया जिसमें क्रेता को भी पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि कानूनन एक क्रेता का पक्षकार बनाया जाना चाहिये था जैसा नजीर ए0आई0आर 2011(देहली) पेज-89 में प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत में अपीलान्ट की एक्स पार्टी कर तुरन्त ही प्राथमिक डिक्री दिनांक 6-1-2006 को तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 23-1-2006 को जारी कर दी । अपीलान्ट की तामिल सम्यक रूप से नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी अदालत मातहत में पेश किया। जिसको अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध खारिज किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का

आदेश निरस्त कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जावे । बहस के समर्थन में आरआरडी 2008 पेज 674, आरआरडी 2007(एच0सी0) पेज-82। एवं आरआर डी ।991। पेज 59 पेश की ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने तामिल लेने से मना किया तब तामिल कुनिन्दा के पास एक ही विकल्प है कि वह दो गवाहों के समक्ष नोटिस पक्षकार/आसामी के मकान पर चस्पा करें ।तामिल कुनिन्दा ने नोटिस मना करने पर अपीलान्ट के मकान पर दो गवाहों के समक्ष चस्पा किया है। अपीलान्ट अदालत मातहत में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । दावा विवादित आराजी का बंटवारा का है अपीलान्ट ने यह नहीं बताया कि डिक्री से अपीलान्ट को क्या नुकसान हुआ है । अदालत मातहत ने मौके की विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव आराजी का बंटवारा किया है ।पटवारी हल्का मौके से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर लाये है। इन सभी कार्यवाही की अपीलान्ट को जानकारी थी किन्तु अपीलान्ट जानबुझ कर अदालत मातहत में हाजिर नहीं हुये ।अपीलान्ट ने मु0नं0 9/2003 में रेस्पोडेन्ट सुनील को जानबुझ कर पक्षकार नहीं बनाया। जिसकी हमे कोई जानकारी भी नहीं रही है ।अपीलान्ट को दावा सं0-45/2005 के नोटिस जारी किये हैं। तामिल सम्यक रूप से की गई है ।जिसकी निर्णय की इजराय होकर पालना हो चुकी। राजस्व रेकार्ड में खाता अलग अलग हो चुका । अपीलान्ट को उक्त निर्णय से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है । अपीलान्ट का केवल एक ही उद्देश्य है कि वह विवादित आराजी का बंटवारा करना नहीं चाहता ।अदालत मातहत का निर्णय सही है ।अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम ।3 सीपीसी सही रूप से खारिज किया है। अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की की उनके तथ्य प्रकरण से भिन्न है ।जो प्रकरण में कोई मदद नही करते हैं । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्टस् के नोटिस दिनांक 16-12-2005 को पत्र क्रमांक 3761-72 दिनांक 17-12-2005 को जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा ने रिपोर्ट की कि" सायल घर पर मिला नोटिस लेने से इन्कार हुआ । नोटिस की प्रति चस्पा की गई ।। तामिल कुनिन्दा ने यह रिपोर्ट 22-12-2005 को की है । नोटिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर/है अंगूठा निशानी है। नोटिस की पुश्त पर तहसीलदार के भी हस्ता0 है । अदालत मातहत ने दिनांक 06-1-2006 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये । इसके बाद दिनांक 23-1-06 को अन्तिम डिक्री मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के जारी की गई । अपीलान्ट का यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजी का पूर्व में दावा सं09/2003 पहले से विचाराधीन था । किन्तु इस दावा मे दावा सं0-45/2005 के वादी सुनील को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस कारण यह कहना सही नहीं कि वादी सुनील ने यह दावा पूर्व में विचाराधीन दावा के रहते यह दावा बतौर साजिश पेश किया है ।इस प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी में केवल सही देखा जाना है कि अपीलान्ट की तामिल सम्यक रूप से हुई अथवा नहीं । अपीलान्टस् के नोटिस की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह सही है कि अपीलान्ट के इन्कारी के बाद नोटिस की प्रति दो गवाहों के समक्ष दिनांक 22-12-2005 को चस्पा किया गया है तथा नोटिस की पुश्त पर तहसीलदार फतेहपुर के हस्ताक्षर दर्ज है ।इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट की तामिल सम्यक रूप से हुई है ।विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो कानूनी नजीरें पेश की है उनके तथ्य भिन्न है जो प्रकरण पर चस्पा नहीं है अदालत मातहत ने अपना निर्णय सभी तथ्यों पर मनन कर पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।साथ ही विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट को उसका हिस्सा मुताबिक राजस्व रेकार्ड दिया गया है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय दिनांक 22-2-2011 यथावत रखा जाता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14.3.2018 को सुनाया गया ।

14/3/18

(भंवरलाल पेहड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर